संख्या 163/नौ–2–04(63पे0)/2003

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2004

विषय:– चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 मे जलसम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 4298/वि0अनु0उपयोगिता/2003–04, दिनांक– 17.01.2004 एवं पत्रांक 4299/वि0अनु0/उपयोगिता/2003–04 दिनांक– 17.01.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में राज्य सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु उत्तरांचल जल संस्थान को रू0 3,20,00,000/–(रू0 तीन करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न0 जनपदवार विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –:

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नैनीताल	30.00
2.	उधमसिंह नगर	10.00
3.	अल्मोड़ा	25.00
4.	पिथौरागढ़	28.00
5.	बागेश्वर	15.00
6.	चम्पावत	22.00
7.	देहरादून	17.00
8.	पौड़ी	65.00
9.	टिहरी	45.00
10.	उत्तरकाशी	30.00
11.	रूद्रप्रयाग	18.00
12.	चमोली	15.00
	योग :–	320.00

क्रमशः – 2

2. जल सम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव का कार्य सम्बन्धित जनपद में जल संस्थान की सम्बन्धित इकाईयों द्वारा किया जायेगा । व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचल जल संस्थान के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी । धनराशि आहरण के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुऐ इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय । धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2004 तक सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उक्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायगी ।

4. भविष्य में रखरखाव मद में धनराशि तभी स्वीकृत की जायेगी जबकि इस मद में पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार /योजनावार जनपदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोर पर्चेज रूल्स , टेण्डर /कुटेशन विषयक नियम तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6. अनुरक्षण में सैन्टेज शासन द्वारा अनुमोदित 12.5 प्रतिशत की दर से ही लगाया जायेगा ।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के संलग्नशीर्षक- "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 -जलापूर्ति -102 -ग्रामीणजलापूर्ति कार्यक्रम-आयोजनागत-91-जिलायोजना-01 -ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना-20-सहायक अनुदान /अंशदान /राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2611/वि0अनु0/2004, दिनांक 27 जनवरी,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 163(1)/नी-2-04(63पे0)/2003, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार,उत्तरांचल ,देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमॉयू
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
4. प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून ।
5. अध्यक्ष,उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग-3/बजट सैल /नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
7. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री जी,उत्तरांचल ।
8. आयुक्त ,ग्राम्य विकास,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय,देहरादून ।
10. निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर ,देहरादून ।
11. महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान(कुमॉयू मण्डल) नैनीताल ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता,उत्तरांचल जल संस्थान ।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव